IN THE COURT OF EXCLUSIVE SPECIAL EXCISE JUDGE-01, Banka

Bounsi **P.S- Case No-** 265/17 **, Special Excise Case No-** x

GR Case No - 3599/2017

07-04-26 न्यायालय से निर्गत प्रोसेस 82 crpc के आधार थाना प्रभारी बौंसी (बांका) के द्वारा उचित अभिरक्षा दल के साथ अभियुक्त महेन्द्र मंडल, उम्र-55 वर्ष, पे०- स्व० भुरन मंडल, ग्रा०- गुड़िया, थाना- बौंसी, जिला- बांका को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त से पूछने पर बताते है कि उनकी गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनो को है।

तत्पश्चात् अभिलेख का अवलोकन किया दिनांक– 05-01-2018 को अभियुक्त के विरूद्ध u/s-37B Bihar Prohibition & Excise Act 2016 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष निवेदन किया गया है कि यह उनका प्रथम अपराध है एवं वह स्वेच्छा से अपना दोष स्वीकार करना चाहते है एवं वह इस परिणाम से अवगत् है कि न्यायालय द्वारा उसे दोष सिद्ध किया जा सकता है। तत्पश्चात् Form- 6A का अवलोकन किया। अभियुक्त की प्रार्थना स्वीकृत कर अभियुक्त का दोष स्वीकारोक्ति ब्यान दर्ज किया गया। अभियुक्त को मो० 4500/- रूपये का अर्थदण्ड लगाया जाता है। अर्थदण्ड जमा नहीं करने पर 30 दिनों के साधारण कारावास सजा दी जाती है।

Exclusive Spl. Excise Judge-01,Banka

पश्चात् अभियुक्त महेन्द्र मंडल की ओर से अर्थदण्ड की राशि मो० 4500/- रूपये नाजिर रसीद सं०– 24979 दिनांक– 07-04-2026 के माध्यम से नजारत व्यवहार न्यायालय बांका में जमा किया गया। अभियुक्त महेन्द्र मंडल के विरूद्ध वाद की अग्रीम कार्यवाही समाप्त की जाती है एवं अभियुक्त महेन्द्र मंडल को उन्मुक्त किया जाता है। इस वाद में कोई अन्य अभियुक्त शेष नहीं हैं। अतः सम्पूर्ण वाद का निष्पादन किया जाता है। कार्यालय, निष्पादित अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार बांका में जमा करे।

Exclusive Spl. Excise Judge-01,Banka

ए